(Delegated legislation)

उत्तर:

1. तत्व और सार का सिद्धान्त
(Doctrine of Pith and Substance)

अनु० 246 ने संघ राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करने की दृष्टि से विधायन सम्बन्धी विभिन्न विषयों को तीन अलग–अलग सूचियों में निर्दिष्ट किया है। ये सूचियाँ हैं–

(1) संघ–सूची, (Union list)

(2) राज्य सूची (State List) और

(3) समवर्ती–सूची (Concurrent List)।

संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर केन्द्र को, और राज्य–सूची में उल्लिखित विषयों पर राज्यों को, कानून बनाने की अनन्य शक्ति इस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है; जबकि समवर्ती सूची के विषयों पर केन्द्र और राज्य, दोनों को, कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके बावजूद यह अनुच्छेद केन्द्रीय कानून को सर्वोच्चता प्रदान करता है।

अनु० 246 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय 'तत्व और सार का सिद्धान्त' उस समय लागू करते हैं जब तक विधानमण्डल द्वारा बनाया गया कोई कानून दूसरे विधानमण्डल के विधायी विस्तार–क्षेत्र का भी अतिक्रमण करता है या करने लगता है। उस समय इस बात का निर्धारण करने के लिए कि ऐसा विवादग्रस्त कानून उसे बनाने वाले विधान मण्डल को विधायी शक्ति के अधीन है या नहीं? न्यायालय इस सिद्धान्त के आधार पर यह निर्णय करते हैं कि यदि वह कानून, सारवान रूप से, या उसका वास्तविक उद्देश्य, ऐसे विषय से सम्बन्धित है, जिस पर वह विधान मण्डल कानून बनाने में अक्षम है, तो उसे मान्य घोषित किया जायगा, भले ही वह दूसरे विधान मण्डल के विधायी क्षेत्र में आने वाले विषय पर आनुषंगिक रूप से अतिक्रमण करता हो। उस कानून की वास्तविकता, प्रकृति और स्वरूप का पता लगाने के लिये इस सिद्धान्त के अन्तर्गत पूरे अधिनियम पर विचार किया जाता है और उसके उद्देश्य और विस्तार तथा उसके उपबन्धों के प्रभाव की जाँच की जाती है।

इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रिवी कौंसिल ने **'प्रफुल्ल कुमार बनाम खुलना बैंक'** AIR 1947, P.C. 60 के मामले में लागू किया था। इस मामले में बंगाल विधान मण्डल ने ऋण का व्यापार–नियंत्रण करने के लिए बंगाल साहूकारी अधिनियम (मनी लेन्डर्स ऐक्ट) 1940 पास किया था। इस अधिनियम ने बंगाल प्रांत में ऋण पर ब्याज–दर की एक निश्चित सीमा नियत कर दी थी, जिससे